पृ.क्र.-
पिछला | अगला

11. Repeal saving.—The rules regarding Prohibition or Regulation of the Cutting of Trees made vide this Department Notification No. F-2-8-VII-S-8-94, dated the 29th July 1997 published in "Madhya Pradesh Gazette" dated the 8th August, 1997 are hereby repealed.

Provided that any action taken or order passed under the provision of the rules so repealed shall be deemed to have taken or passed under these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. S. BHATANAGAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2002

241(1)(2)

क्र. एफ-2-50-2002-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 241 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (तैंतालीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्:

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय भूमि में लगे हुए, ग्रामों में इमारती लकड़ी को काट कर गिराने तथा हटाने का विनियमन नियम, 2002 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 241 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित आदेश का हिन्दी में अनुवाद किया जाएगा और ऐसे अनुवाद की एक प्रतिलिपि ऐसे क्षेत्रों में, जो अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित हैं, सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाई जाएगी. इसकी एक प्रतिलिपि ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा सूचना फलक पर चिपकाई जाएगी और इसकी घोषणा संबंधित ग्रामों तथा साप्ताहिक हाट, यदि कोई हो, में भी डोंडी पीट कर की जाएगी.

3. उक्त संहिता की धारा 240 के अधीन बनाए गये नियमों के नियम-3 के अधीन गठित उपखंड स्तरीय समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय समिति, इन नियमों के लिये क्रमशः उपखंड समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय समिति होंगी.

4. जब किसी ग्राम में धारा 241 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश उद्घोषित कर दिया जाय, तब विक्रय या व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों हेतु अपने खाते में के किसी इमारती लकड़ी के वृक्ष को काटकर गिराने का इच्छुक कोई व्यक्ति, इन नियमों से संलग्न प्ररूप "क" में लिखित में तीन प्रतियों में आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा:

परन्तु केवल अपने वास्तविक कृषिक या घरेलू प्रयोजनों के लिये एक वर्ष की कालावधि में दो घनमीटर तक इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटकर गिराए जाने के लिये, यदि इमारती लकड़ी के वृक्षों का ऐसा काटकर गिराया जाना संहिता के अन्य उपबंधों के उल्लंघन में नहीं है और काटकर गिराने के पूर्व भूमिस्वामी ने कम से कम पन्द्रह दिन की लिखित पूर्व सूचना कलेक्टर को भेज दी है, कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह और कि वृक्षों को काटे जाने या काट कर गिराये जाने के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के उपबंधों के अधीन कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि ऐसा काटा जाना या काटकर गिराया जाना, मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) के उपबंधों के अनुसार है:

परन्तु यह भी कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भूमिस्वामी के खाते में के इमारती लकड़ी के वृक्षों को काट कर गिराये जाने और अभिवहन के लिये, यदि ऐसा काटकर गिराया जाना संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं है, अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि उसने स्वयं ने इन वृक्षों का रोपण, जिसमें वाणिज्यिक रोपण शामिल है, किया हो :

परन्तु यह और भी कि भूमिस्वामी, किसी रोपण के संबंध में, तहसीलदार तथा वन रेंज अधिकारी को प्ररूप "ख" में अग्रिम सूचना देगा और ऐसे रोपण को, खसरा को सम्मिलित करते हुए, सुसंगत राजस्व अभिलेखों में, सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस नियम के उपबंधों के प्रयोजन के लिए "वाणिज्यिक रोपण" में, इस नियम में यथाउपबंधित राजस्व अभिलेखों में इनके अभिलिखित होने के अध्यधीन रहते हुए, वाणिज्यिक फसल के रूप में वृक्षों का रोपण, उनका उगाना तथा काटना सम्मिलित होगा.

5. ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर कलक्टर तुरन्त ही दूसरी प्रति संभागीय वन अधिकारी को और तीसरी प्रति ग्राम पंचायत स्तरीय समिति को विचारार्थ भेजेगा. ग्राम पंचायत स्तरीय समिति और संभागीय वन अधिकारी से अनुशंसा/प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यह निश्चित करेगा कि इमारती लकड़ी के वृक्षों में, जिन्हें काटने हेतु आवेदन किया गया है, कौन से जनहित में अनुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है तथा कौन से भूमि के कटाव को रोकने हेतु अपेक्षित है. वह खाते में उनके अतिरिक्त, जिन्हें वह अनुरक्षित रखे जाने का आदेश दें, इमारती लकड़ी के वृक्ष काटे जाने की अनुज्ञा दे सकेगा :

पिछला | अगला

परन्तु ऐसे भूमिस्वामी के मामले में, जो ऐसी जनजाति का हो, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित की गई है, मध्यप्रदेश आदिम जनजाति (वृक्षों में हित) संरक्षण अधिनियम, 1999 के उपबंध लागू होंगे।

6. नियम 5 के अधीन कलेक्टर द्वारा भूमिस्वामी को लिखित में दी गई अनुज्ञा एक वर्ष के लिये मान्य रहेगी.

7. अनुज्ञात किये जाने वाले इमारती लकड़ी के वृक्षों को निम्नलिखित रीति से चिन्हित किया जाएगा :—

(एक) ऐसे वृक्ष ग्राम के पटवारी अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुज्ञात रखे जाने के लिये चिन्हित किए जाएंगे.

(दो) ऐसे वृक्षों पर सीने की ऊंचाई पर अर्थात् भूमि के तल से 1.3 मीटर पर कोलतार की पट्टी होगी और वे क्रमांकित किए जाएंगे.

8. ग्राम के पटवारी का यह देखने का कर्तव्य होगा कि ऐसे वृक्ष जिनके अनुज्ञात किये जाने का आदेश हुआ है, काटकर गिराए गए हैं.

9. (1) ठूंठ के स्थान पर वृक्षों को काटकर गिराया जाएगा तथा उनके लट्ठे बनाए जाएंगे. काटकर गिराए जाने तथा लट्ठे बनाए जाने का कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना आवेदक द्वारा उपखण्ड वन अधिकारी को, स्वयं अथवा पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा इस अनुरोध के साथ दी जाएगी कि इस प्रकार प्राप्त इमारती लकड़ी के टुकड़ों पर, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के अधीन अपेक्षित हथौड़े के निशान लगा दिए जाएं.

10. (1) कोई भी इमारती लकड़ी का टुकड़ा, ठूंठ के स्थान से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस पर सम्यक् रूप से हथौड़े का निशान नहीं लगाया गया हो, तथा आवेदक ने मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के अधीन परिवहन के लिये अभिवहन पास अभिप्राप्त नहीं किया हो.

(2) अभिवहन में इमारती लकड़ी का प्रभारी कोई व्यक्ति, किसी भी वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा, जब कभी उससे ऐसा करने को कहा जाए, उसके प्रभार में की इमारती लकड़ी से संबंधित पास निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा.

11. यदि इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में किसी इमारती लकड़ी का परिवहन किया जाता है तो वह किसी भी वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा, अभिगृहीत की जा सकेगी, मानो वह ऐसी वन उपज है जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया हो. ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा पन्द्रह दिवस के भीतर उपखंड अधिकारी (राजस्व) को आवश्यक कार्यवाही हेतु की जाएगी.

12. उपखंड स्तरीय समिति, ग्राम पंचायत स्तरीय समिति के क्रियाकलाप का नियतकालिक [illegible] पुनर्विलोकन और [illegible] की जांच कर सकेगी.

13. शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काटकर गिराने तथा हटाने को विनियमित करने से संबंधित नियम, जो अधिसूचना क्र. 218-6477-सात-एन (कृषि), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा बनाए गए हैं, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या पारित किया गया आदेश इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या पारित किया गया आदेश समझा जाएगा.

प्ररूप "क"

(नियम 4 देखिए)

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता सहित.

2. उस भूमिस्वामी का, जिसके खाते में तथा पटवारी हल्का क्रमांक सहित उस ग्राम का नाम जिसमें वृक्ष काटकर गिराया जाना है.

3. सर्वेक्षण क्रमांक/भू-खण्ड क्रमांक, क्षेत्रफल सहित, जिसमें वृक्ष काटकर गिराया जाना है.

4. पूर्वोक्त सर्वेक्षण क्रमांक/भू-खण्ड क्रमांक में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार तथा घेरावार कुल संख्या.

5. घेरावार काटकर गिराये जाने वाले वृक्षों की संख्या तथा काटकर गिराये जाने वाले वृक्षों का अनुक्रमांक.

6. क्रेता का नाम, पूर्ण विवरण तथा पता.

7. विक्रय की शर्तें तथा प्रतिफल.

8. गंतव्य स्थान जहां तक काटी गई सामग्री का परिवहन या तो स्वयं या क्रेता द्वारा किया जाना है.

9. परिवहन का मार्ग.

स्थान

तारीख . . . .

आवेदक के हस्ताक्षर.

पृ.क्र.- 246
पिछला | अगला

प्रारूप "ग"

(नियम ६ देखिए)

प्ररूप को सम्मिलित करते हुए, राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टी तक ही के वृक्षारोपण की प्रविष्टियों को अभिलिखित करने हेतु सूचना.

प्रति,

तहसीलदार,

तहसील ....

जिला .... मध्यप्रदेश.

1. आवेदक का नाम/पिता का नाम तथा पता.

खसरा क्रमांक तथा क्षेत्रफल, पटवारी हल्का क्रमांक एवं ग्राम, जिसमें वृक्षारोपण प्रस्तावित है.

3. भूमि के स्वामित्व के संबंध में विशिष्टियां.

4. प्रत्येक खसरा क्रमांक में विद्यमान/प्रस्तावित वृक्षों की संख्या—

अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	विद्यमान वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति के नाम	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या और प्रजाति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

तारीख ....

स्थान ....   खातेदार के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2002

क्र. एफ. 2-50-2000-सात-शा.-6.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-50-2000-सात-शा.-6, दिनांक 15 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, अपर सचिव.

Bhopal, the 15th May 2002

No. F. 2-50-2000-VII Sec.-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (l-XI) of sub-section (2) of Section 258 read with sub-section (1) of Section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, makes the following rules, the same have been previously published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Regulation of the Felling and Removal of timber in villages Adjoining Government Forests, Rules, 2002.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. The order Published in the Gazette under sub-section (1) of Section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) shall be translated in Hindi and a copy of such translation shall be affixed at public places in such villages as are comprised in the notified area. A copy of it shall be affixed to the notice board of the Gram Panchayat and Gram Sabha and shall also be proclaimed by beat of drum in the villages concerned and at the weekly market, if any.

3. The Sub-Divisional level Committee and Gram Panchayat level Committee, constituted under rule 3 of rules made under Section 240 of the said Code, shall be the Sub-Divisional Level Committee and Gram Panchayat level Committee respectively for these rules.

4. When an order has been proclaimed in any village under sub-section (2) of Section 241, any person desirous of felling any timber tree in his holding, for sale, or for purposes of trade, or business shall submit in writing to the Collector, an application in triplicate in Form-A appended to these rules :

Provided that no permission shall be required for felling the timber trees up to two cubic metres, meant only for his bonafide agricultural or domestic purpose, in a period of one year if such felling of the timber trees is not in contravention of the other provisions of the Code and before felling after cutting the Bhumiswami has sent prior intimation, atleast of 15 days, in writing to the Collector :

पृ.क्र.- 247
पिछला | अगला

Provided further that no permission shall be required under the provisions of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) for cutting or felling of trees if such cutting or felling is in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001) :

Provided also that subject to the provisions of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 and the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 (framed under the Indian Forest Act, 1927, no permission for felling and transit of timber trees in the holding of any Bhumiswami shall be required if he has himself planted these trees, including commercial plantation if such felling is not in contravention of the provisions of the Code:

Provided also further that, in respect of any plantation, Bhumiswami shall give information in form-B to the Patwar and Forest Range Officer in advance and such plantation shall be duly recorded in the relevant revenue records including the Khasra.

Explanation.— For the purpose of the provisions of this rule 'Commercial Plantation' shall include planting of trees, their raising and harvesting as a commercial crop subject to its recording in revenue records as provided in this rule.

5. On receipt of such application, the Collector shall immediately send the duplicate copy to the Divisional Forest Officer and the third copy to the Gram Panchayat Level Committee for consideration. After receiving the recommendation/report from Gram Panchayat Level Committee and Divisional Forest Officer, he shall ascertain which timber trees from among those applied for to be cut, require to be retained in public interest or which are required for preventing erosion of soil. He may permit the cutting of timber trees in the holding other than those which he orders to be retained :

Provided, that in the case of a Bhumiswami belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the provisions of the Madhya Pradesh Protection of Aboriginal Tribes (interest in Trees) Act, 1999, shall be applied.

6. Permission granted in writing by the Collector to a Bhumiswami under rule 5, shall hold good for one year.

7. The timber trees to be retained shall be marked in the following manner :—

(i) Such trees shall be marked for retention by the village Patwari or by any other person authorised by the Collector ;

(ii) Such trees shall bear a coal tar band at breast height i.e. at 1.3 metre from the ground level and shall be serially numbered.

8. It shall be the duty of the Patwari of the village to see that such trees as are ordered to be preserved, are not felled.

9. Trees shall be felled and logged at stump site. An intimation of the complection of felling and logging shall be given by the applicant to the Sub-Divisional Forest Officer personally or by a Registered Post, Acknowledgement Due with the request that the timber pieces so obtained be hammer-marked, as required under the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000.

10. (1) No timber piece shall be removed from the stump site unless they are duly hammer-marked and the applicant obtains a transit pass for the transport under the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000.

(2) Any person in-charge of timber in transit, shall, whenever called upon to do so, by any Forest Officer, Revenue Officer, or Police Officer produce for inspection the pass or passes in respect of timber in his charge.

11. If any timber is transported in contravention of any of the provisions of the rules, it may be seized by any Forest Officer, Revenue Officer or Police Officer, as if it were forest produce, in respect of which an offence has been committed. A report of such contravention shall within fifteen days, be made by the Forest Officer, Revenue Officer or Police Officer to the Sub-Divisional Officer (Revenue) for necessary action.

12. The Sub-Divisional Level Committee may review periodically the working and enquire into the complaints of Gram Panchayat Level Committee.

13. The Rules regarding regulating of the Felling and Removal of Timber in Villages Adjoining Government Forests made *vide* notification No. 215-6477-VII-N (rules) dated the 6th January, 1960 are hereby repealed.

Provided that any action taken or order passed under the provisions of the rules so repealed shall be deemed to have been taken or passed under the provisions of these rules.

FORM "A"

(See rule 4)

(1) Name of applicant with parentage and address. . . . .

(2) Name of the Bhumiswami over whose holding and the village with Patwari Halka No. in which felling is to be done. . . . .

(3) Survey No./Plot No. with area over which felling is to be done. . . . .

(4) Total number of trees standing in the aforesaid survey number/plot number specie-wise, and girth-wise. . . . .

(5) Number to be felled girth-wise and serial number of trees to be felled. . . . .

(6) Name, full particulars and address of the purchaser. . . . .

(7) Condition and consideration of sale. . . . .

(8) Destination to whose felled material is to be transported either personally or by the purchaser. . . . .

(9) Route of transport. . . . .

place . . . .
Date . . . . Signature of applicant.

FORM—B

(See rule 4)

Information for records the entries of timber tree plantation in revenue records including Khasra.

To,

The Tahsildar,
Tahsil,
District . . . . M. P.

1. Name /Father's Name & Address of the applicant. . . . .

2. Survey number & area Patwari halka No. & Village in which the plantation is proposed. . . . .

3. Particulars regarding the ownership of the land. . . . .

4. Number of trees existing/ proposed in each Khasra number :

S. No.	Khasra No.	No. of existing trees & name of species	No. of plants for proposed Plantation & name of species
(1)	(2)	(3)	(4)

Date . . . .
Place . . . . Signature of holder

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
N. S. BHATNAGAR, Addl. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002